# समाहरणालय, रामगढ़।

## (उत्पाद शाखा)

### बन्दोबस्ती विज्ञप्ति

झारखण्ड सरकार के उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग के संकल्प संख्या– 1/ नीति– 40–4/2009–367 दिनांक– 20.02.2009, जो झारखण्ड गजट के असाधरण अंक संख्या– 69 दिनांक– 20.02.2009 द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें वर्णित उत्पाद नीति के आलोक में एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि रामगढ़ जिला में स्वीकृत **14 (चौदह)** देशी शराब (म0 दे0 शराब सहित) एवं **19 (उन्नीस)** विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की खुदरा अनुज्ञप्तियों को तथा एक ही परिसर में देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की खुदरा बिक्री की **10 (दस)** कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञप्तियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 अर्थात् 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए दिनांक– **07.03.2013** को सभागार कक्ष, ब्लॉक ऑफिस, रामगढ़ (ब्लॉक), **रामगढ़** में निर्धारित समय–**11:00** बजे पूर्वाह्न में तथा आवश्यक्तानुसार उसके अगले दिन निर्धारित फीस पर आवेदन प्रणाली द्वारा लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में बन्दोबस्त किया जायेगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र– 127 'क') में निहित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत वांछित कागजात एवं आवेदन शुल्क के साथ दिनांक–**01.03.2013** के अपराह्न **5:30 बजे** तक सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग–सह–रामगढ़–सह–चतरा के हजारीबाग स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती संबंधी बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र–127 'क') समाहरणालय, रामगढ़ एवं सदर उत्पाद कार्यालय, हजारीबाग के सूचना पट पर देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग–सह–रामगढ़–सह–चतरा के हजारीबाग स्थित कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

सहायक आयुक्त उत्पाद
हजारीबाग–सह–रामगढ़।

उपायुक्त, रामगढ़।